कार्यालय–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकःबे0शि0/ 3329-30 / 2026–27/ दिनांकः 29/05/26

कार्यालय ज्ञाप

प्रबन्धक एस्पम स्कोटिस स्कूल, ए–43,सेक्टर–62 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांकः08.05.2026 द्वारा शासनादेश संख्या–419/ 79–6–2013–एस (7) /89 शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 08 मई 2013 के कम में विद्यालय की मान्यता का नवीनीकरण/स्थाई करने का अनुरोध किया गया। अभिलेखानुसार इस कार्यालय के पत्रांकःमान्यता /3340–41 /2003–2004/ दिनांक03.01.2004 के द्वारा प्राथमिक स्तर एवं पत्रांकःस0शि.स0/393–97/2004–05 दिनांकः14.05.2004 के द्वारा उक्त विद्यालय को कक्षा 06 से 08 तक जूनियर स्तर की अस्थाई मान्यता प्रदान की गयी थी।

शासनादेश संख्याः419/79–6–2013–18(20)/91 दिनांकः 08 मई 2013 व शासनादेश संख्या–418/ 79–6–2013–एस(7)/89 दिनांक 08 मई 2013 की शर्तो के अधीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को शासनादेश के प्रस्तर–13 में उल्लिखित प्रावधानों के अर्न्तगत जिन विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है तथा मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही हुआ है तो औपबन्धिक मान्यता प्राप्त होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है। उक्त संस्था के विरुद्ध कार्यालय को विद्यालय के आरम्भ से अद्यतन कोई शिकायत प्राप्त नही है। अतः विद्यालय एस्पम स्कोटिस स्कूल, ए–43,सेक्टर–62 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मान्यता को स्थाई समझा जायेगा एवं भविष्य में पत्रांकःमान्यता /3340–41 /2003–2004/ दिनांक03.01.2004 के द्वारा प्राथमिक स्तर एवं पत्रांकःस0शि.स0/393–97/2004–05 दिनांकः14.05.2004 में उल्लिखित समस्त शर्तो/मानको का पालन एवं शासन द्वारा जारी किये गये नवीन शासनादेश भी प्रभावी होगें। विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्वातों का अनिवार्य रुप से पालन करना होगा।

Rahul

(राहुल पॅवार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

पृ0स0/बे0शि0/ 2026–27 दिनांकः

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.खण्ड शिक्षा अधिकारी बिसरख,गौतमबुद्धनगर।

2.प्रबन्धक एस्पम स्कोटिस स्कूल, ए–43,सेक्टर–62 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर।

(राहुल पॅवार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।